नम्बर/दिनांक

3/8/21 आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 06/09/2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

6/9/21 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 13/12/21 को प्रस्तुत हो।

20/10/21 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट का आयोजन होने के कारण पेशी में ली गई। पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 72 G.B में दिनांक 16/11/21 को पेश हो।

12/11/21 पत्रावली वाद पत्र पेश होने पर पेशी में ली गई। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण वाद पत्र 2/2 राज. काश्त अधिनियम औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2021.12.06 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested